

की कार्य-प्रणाली से-संबद्ध वर्तमान विस्तीर्ण एवं प्रशासनिक नियमों एवं विनियमनों की निरन्तर समीक्षा की जाती है। है। दिन-ब-दिन का ऐसा काम जो मुख्यालय पर किया जा सकता है उसे मुख्यालय को स्थानान्तरित कर दिया गया है और इस तरह ऐसे मिशनों में कार्मिकों की संख्या कम हो गई है।

(ii) इस तरह बड़े मिशनों में जो झमला कालतू हो गया उसे खाड़ी के क्षेत्र तथा उत्तरी अफ्रीका जैसे अन्य क्षेत्रों के ऐसे मिशनों में भेज दिया गया जहाँ काम का बहुत दबाव था और इस तरह इन मिशनों को मुख्यालय से अतिरिक्त झमला भेजने पर जो खर्च होता अब बच गया।

(iii) विदेशों में कार्यालय के लिए भवन तथा रिहाशी मकान खरीद कर या उसका निर्माण करवा कर किराये की राशि में पर्याप्त कमी करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। इस नीति का दीर्घ-अधि परिणाम यह होगा कि खरीदी गई सम्पत्ति की पुरी लागत तो वसूल हो ही जायेगी इसके साथ ही भारत सरकार के पास अपनी बहुमूल्य स्थायी सम्पत्ति भी हो जाएगी।

(iv) नियमित प्रशासनिक मानडण्ड निर्धारित कर के तार, परिवहन लेखन सामग्री, टेलीफोन होटल में भ्रवासा आदि पर खर्च कम करने के लिए निरन्तर प्रयत्न किए जा रहे हैं। विदेश स्थानान्तरण के बीच दिल्ली में न्यूनतम भ्रवधि के आवास के आदेश से विदेशों में कार्मिकों को दिए जाने वाले यात्रा भत्ते और विदेश भ्रवसे की काफ़ी बचत होती है।

Non-pooled house accommodation for SMs/ASMs in Bikaner Division

4029, SHRI ARVIND NETAM: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the Railway Board has ordered to treat Restgivers and Relieving SMs/ASMs at par with permanent SMs/ASMs who are entitled to Non-pooled house accommodation but the Bikaner Division of the Northern Railway is not treating them at par;

(b) the number of the SMs/ASMs entitled to non pooled accommodation in Bikaner Division of Northern Railway who have not been allotted quarters or have been allotted sub-standard quarters and the proposals if any, for construction of additional quarters to provide cent per cent non-pooled accommodation to them; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) to (c), Information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

Scope of promotion for Physicians and Employees in Indian System of Medicines

4030, SHRI KESHAORAO PARDHI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is no scope of promotion for physicians and employees in the Indian System of Medicines;

(b) whether it is also a fact that there is no higher officer or independent unit of Indian System of Medicines and Homoeopathy in Directo-